

Order Sheet

Description Sheet No.

Case No.

BA 111/17

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16/3/17	<p>आवेदक/आरोपी <u>बेताल सिंह जाय</u> की ओर से श्री <u>12.P. राठौर एडवो</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया। नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे। आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे। प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक <u>17/3/17</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">पी. सी. आय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला-भिण्ड (म प्र)</p>	
17/3/17 12:00 Jo 12:15 P.m	<p>आरोपी/आवेदक <u>बेताल सिंह</u> द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता। राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.। पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक-192/2016 धारा-435, 436 भा.दं.वि0 की केस डायरी प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण क0-100929/2016 प्राप्त। प्रकरण आरोपी/आवेदक <u>बेताल सिंह</u> के नियमित जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है। अतः पुलिस थाना मालनपुर के अप.क्र-192/2016 अंतर्गत धारा-435, 436 भा.दं.वि. में आरोपी/आवेदक <u>बेताल सिंह</u> के द्वारा प्रस्तुत धारा-439 द.प्र.सं. के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आरोपी/आवेदक <u>बेताल सिंह</u> के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत मंगलप्रसाद का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई</p> <p style="text-align: right;">पी. सी. आय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म प्र)</p>	17/3/17

आपत्ति नहीं आयी है। इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी/आवेदक का कहना है कि आवेदक थाना मालनपुर पुलिस ने फरियादी से मिलकर एक झूठा अपराध जमानती अपराध का दि०-29/10/2016 की घटना बताते हुए दि०-02/11/2016 को अपराध धारा-435 भा.दं.वि० में कायम कर विवेचना में लिया और फरियादी व साक्षियों के कथन उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मुचलके के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद बिना कोई जांच, कथन के दि०-16/12/2016 को अभियोगपत्र कता किया गया और अभियोगपत्र में धारा-436 भा.दं.वि० के साथ इजाफा लिखकर पेश कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-435, 436 भा.दं.वि० का संज्ञान लेकर जमानती वारण्ट जारी कर दिया। जिसके पालन में उसने दि०-16/03/2017 को न्यायालय में समर्पण कर दिया है तब से न्यायिक निरोध में है, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला दुकान में आगजनी कर नुकसान पहुंचाने का होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

मूल प्रकरण एवं केस डायरी का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-28/10/2016 को फरियादी के मोहल्ले का आरोपी/आवेदक बेतालसिंह शराब पीकर आया और फरियादी को अश्लील गालियां दी व ढेला (दुकान) नष्ट करने की धमकी दी। दि०-29/10/2016 को फरियादी ने अपनी दुकान में करीबन 10 हजार रुपये का सामान भरा था, रात करीब 11:56 बजे आरोपी/आवेदक बेतालसिंह पुत्र अयोध्या जाटव ने फरियादी की दुकान में आग लगा दी। फरियादी के परिवार ने पहले भी आरोपी/आवेदक बेतालसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। छोटी दीवाली होने से उसने ढेला जल्दी बंद कर दिया था, फरियादी रोजाना ढेला (दुकान) में ही पढ़ता था और उसी में सो जाता था। त्यौहार के कारण वह घर के अंदर सो गया था।

फरियादी अमरेन्द्रसिंह जाटव ने दिनांक-30/10/2016 को इस आशय का लिखित आवेदनपत्र थाना प्रभारी मालनपुर को पेश किया जिसपर से पुलिस थाना मालनपुर में अपराध

पी. सी. जाटव
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
मोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

Case No. BA 111 of 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>क0-192/2016 अंतर्गत धारा-435 भा.दं.वि0 का अपराध आरोपी/आवेदक बेतालसिंह के विरुद्ध नामजद पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना में धारा-436 भा.दं.वि0 का इजाफा किया गया।</p> <p>प्रकरण में अभियोगपत्र पेश हो चुका है, आरोपी न्यायिक निरोध में है, हालांकि अभी प्रकरण में उपार्पण आदेश नहीं हुआ है, जिससे प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी/आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः जमानत आवेदनपत्र बाद विचार स्वीकार किया जाता है। आरोपी की ओर से पचास हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंदपत्र धारा-437(3)जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित पेश की जावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस हो।</p> <p>आदेश की प्रति थाना प्रभारी मालनपुर की ओर भेजी जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p>(पी.सी. आर्य)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	